

**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
गगनदीप सिंह आदि बनाम कुलवीर सिंह आदि  
अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4, एवं 151 सीपीसी प्रकरण संख्या 40 सन् 2025  
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025 / २२६

न म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
--------	------------------------------------	--

2025 प्रार्थी गगनदीप सिंह पुत्र कुलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 ओ तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 एवं 151 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 02.07.2025 को पेश हो।

*[Signature]*  
सहायक कलक्टर एवं फ़ैने  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

२७  
२५

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विनय गग्ग ने वकालतनामा पेश किया। सामिल प्रिसल रहे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आ. 9 नियम 4 CPC पर अनापति जाहिर की। अधिवक्तागण को सुनाया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आ. 9 नियम 4 CPC एवं 151 CPC भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या २२/२०२१, अवगत गगनदीप सिंह बनाम कुलवीर सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 192A RTA रजिस्टर किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली निर्णीत होकर गम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ सलग्न है।

No objection  
*[Signature]*



सहायक कलक्टर एवं फ़ैने  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)